न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

1. रामदास तनय तिजुवा अहिरवार
2. नुनिया वेबा तिजुवा अहिरवार
3. सल्लू पुत्री तिजुवा अहिरवार
4. गनेशी पुत्री तिजुवा अहिरवार
5. नन्नीबाई पुत्री तिजुवा अहिरवार

सभी निबासीयान कुड़ीला, तह.खरगापुर जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

...............अपीलार्थीगण

वनाम

1. मनीराम तनय छिद्दा अहिरवार
2. दसैया तनय डरूवा अहिरवार
3. परवता पुत्र डरूवा अहिरवार
4. परमी पुत्र डरूवा अहिरवार
5. सुदिया वेबा डरूवा अहिरवार

सभी निबासीयान कुड़ीला, तह.खरगापुर, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....................अनावेदकगण

अपील अंतर्गत धारा 44/2 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :-

आवेदक/अपीलांट की ओर से निवेदन है:-

1- यह कि अपीलांटस यह अपील न्यायालय श्रीमान अनुविभगीय अधिकारी महोदय वल्देवगढ़, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 06/अपील/2014-15 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 12/05/2016 से परिवेदित होकर कर रहे हैं जो समय सीमा में है । माननीय न्यायालय को अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

2- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के न्यायालय

92

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 2091-एक/ 2016 जिला-टीकमगढ़

रामदास आदि विरूद्ध [redacted] मनीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~03-01-2019~~ 04.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत ।	
	2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र रायकवार उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 06/अपील/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 12-05-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-06-2016 को कार्यालय कैम्प सागर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी।	
	3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार –	
	''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।''	
4.1.19	4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टरः टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगड़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 4.1.19
सदस्य